न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 एस.पी. सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 15/2018

बउनवान

कपिल कुमार उम्र 24 वर्ष पुत्र श्री घनश्याम जाति–मीणा निवासी–जलोदा तेजाजी तहसील–मॉगरोल जिला–बारां (राज0) (अपीलांट)

बनाम

1–कमलकिशोर आयु 32 वर्ष पुत्र श्री घनश्याम जाति–मीणा निवासी जलोदा–तेजाजी तहसील–मॉगरोल जिला–बारां

2– घनश्याम आयु 52 वर्ष पुत्र श्री नारायण जाति–मीणा निवासी–जलोदा तेजाजी, तहसील–मॉगरोल जिला–बारां

3– मनभरबाई उम्र 58 वर्ष पुत्री नारायण पत्नी छीतरलाल जाति–मीणा निवासी–जलोदा तेजाजी

4– मंजूबाई उम्र 47 वर्ष पुत्री श्री नारायण पत्नी श्री महावीर प्रसाद जाति–मीणा निवासी–जलोदा तेजाजी तह0 मॉगरोल

5– पंसूरीबाई उम्र 60 वर्ष पुत्री नारायण पत्नी बंजरगलाल जाति–मीणा निवासी जलोदा तेजाजी तहसील मॉगरोल

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल जिला–बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील बना[illegible] दिनांक 15.06.2018 न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल अ[illegible] अधिनियम,1956

उपस्थिति [illegible] बबलाल [illegible] अभिभाषक (अपीलांट)

2– [illegible] भटनागर, अभिभाषक (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 24.12.2018

अपीलांट ने अधीनस्थ [illegible] तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 15.0[illegible] के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत [illegible] अंकित किया है कि ग्राम जलोदा तेजाजी तहसील–मॉगरोल [illegible] रकबा 3.56 है0 व खसरा नम्बर 376 रकबा 0.47 है0 कुल दो [illegible] भूमि स्थित है जो वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में 1/2 में रेस्पो0 क्रम– 1 व 1/2 में गुलाबबाई पत्नी स्व. नारायण जाति–मीणा के नाम दर्ज है। इसके से केवल मात्र गुलाबबाई के 1/2 हिस्से का विवाद है।

यह कि गुलाब बाई ने अपने जीवनकाल में अपने [illegible] हिस्से की भूमि की एक रजिस्टर्ड वसीयत अपीलांट के पक्ष में की है जो [illegible] 02.05.2013 को की गयी थी। गुलाबबाई का दिनांक 22.08.2017 को देहान्त हो गया है। गुलाबबाई ने अपनी वसीयत दिनांक [illegible] के अलावा अन्य कोई वसीयत नहीं की है। इस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कारण दिनांक 02.05.2013 की गुलाबबाई की अंतिम वसीयत हो जाती है। इसी फलस्वरूप अपीलांट ने दिनांक 06.11.2017 को तहसीलदार, मॉगरोल को इस आशय का प्रार्थनापत्र पेश किया था कि गुलाबबाई हिस्सा 1/2 का रजिस्टर्ड वसीयती नामान्तकरण दर्ज किया जावे। किन्तु तहसीलदार, मॉगरोल ने वसीयत पर जो गवाहान नरेन्द्र कुमार, बाबूलाल एवं लिखावटकर्ता पुरूषोत्तम ने बयान लेखबद्ध किये गये जिन्होने वसीयत को अपीलांट के पक्ष में करना जाहिर किया है। हल्का पटवारी ने मृतका के वारिसान् के लिखने पर वसीयत के अनुसार नामान्तकरण कपिल कुमार के नाम दर्ज करने की अनुशंसा की है। विवादित नामान्तकरण के पक्षकारान् मीणा जाति है जिनके ऊपर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। किन्तु इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा मृतका की सम्पत्ति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश दिया है, जो सर्वथा गलत है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा पारित वसीयती नामान्तकरण आदेश दिनांक 15.06.2018 निरस्त फरमाया जाकर, रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर मृतका की आराजी का नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम जलोदा तेजाजी तह0 मॉगरोल में विवादित आराजी ख0नं0 199 रकबा [illegible] ख0नं0 376 रकबा 0.47 है0 कुल दो किता रकबा 4.03 है0 कमलकिशोर हिस्सा 1/2 एवं गुलाबबाई बेवा नारायण हिस्सा 1/2 खाते दर्ज है। मृतका गुलाबबाई की मृत्यु दिनांक 22.8.2017 को होने पर, अपीलांट ने मृतका गुलाबबाई द्वारा अपीलांट के पक्ष में तहरीरी रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के गवाहान के बयान [illegible] जिन्होने अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत करना जाहिर किया [illegible] पटवारी से भी रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिन्होने भी वसीयत के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने की अनुशंसा की। किन्तु इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतका गुलाबबाई के वारिसान रेस्पों0 के नाम उक्त विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये है। जबकि मीणा जाति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। मीणा जाति में [illegible] भी पुत्रियों के विरासतन अधिकार नहीं माने गये है। इसके बावजूद तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा कानूनी प्रावधानों के अनदेखा कर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, बिना विवेक के विरासतन नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो प्रथम दृष्टाया हीं निरस्त किये जाने योग्य है।

साथ हीं कथन किया कि मृतका गुलाबबाई के वारिसान् जो रेस्पों0 क्रम 1 ता 5 है उन्हे भी इस रजिस्टर्ड वसीयती नामान्तकरण कर कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वारिसान की कोई ताकीद नहीं की गयी है। यह रजिस्टर्ड

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

वसीयत है जब तक कोई अन्य वसीयत नहीं हो या उच्च न्यायालय से स्थगन नहीं हो, तब तक वसीयती नामान्तकरण दर्ज करने से इन्कार नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों को अनदेखा कर, विधि विरूद्ध तरीके से मृतका गुलाबबाई हिस्सा 1/2 पर विरासतन नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2018 निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट के पक्ष में वसीयती नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का समर्थन करते हुये व्यक्त किया कि यह रजिस्टर्ड वसीयत है। इस वसीयत पर रेस्पोडेंट को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतका गुलाबबाई का विरासतन नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये है। यदि उक्त आराजी वसीयत के आधार पर अपीलांट के पक्ष में दर्ज की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा विवादित आराजी ग्राम जलोदा तेजाजी ख0नं0 199 रकबा 3.56 है0, ख0नं0 376 रकबा 0.47 है0 कुल दो किता रकबा 4.03 है0 हिस्सा 1/2 मृतका गुलाबबाई पत्नी नारायण मीणा नि. इकलेरा के खाते की आराजी को रेस्पों0 वारिसान के नाम विरासतन नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है। इसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है। बहस के दौरान अपीलांट अभिभाषक का मुख्य तर्क है मृतका गुलाबबाई [illegible] 02.05.2013 को अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत तहरीर [illegible] वसीयत है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल [illegible] के गवाहान के बयान लेखबद्ध करने व रेस्पोडेंट वारिसान की [illegible] होने के बावजूद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत [illegible] के नाम नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये है। इसके विपरीत रेस्पोडेंट अभिभाषक ने भी रजिस्टर्ड वसीयत पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 02.05.2013 को अमल नहीं किया गया है। यदि पीठासीन अधिकारी को उक्त वसीयत पर आपत्ति थी तो तत्समय वारिसान् की विधिवत सुनवाई कर [illegible] करने के आदेश पारित करने चाहिये थे। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] वसीयत के गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये है जिनने [illegible] है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा बिना वारिसान् की सुनवाई किये रजिस्टर्ड वसीयत को अनदेखा कर [illegible] नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये है, वह सही प्रतीत नहीं होते है क्योकि रजिस्टर्ड वसीयत के अधिकारों को बिना जॉच पड़ताल किये समाप्त नहीं किया जा सकता।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 15.06.2018 को निरस्त किया जाकर, पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यदि रजिस्टर्ड वसीयत पर आपत्ति है तो मृतका के वैधानिक वारिसान को सुनवाई का अवसर देकर, पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 07.01.2019 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official